राष्ट्रवाद

राष्ट्रवाद क्या है:–

- सामान्यतः यदि जनता की राय ले तो इस विषय में राष्ट्रीय ध्वज, देश भक्ति देश के लिए बलिदान जैसी बाते सुनेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड़ भारतीय राष्ट्रवाद का विचित्र प्रतीक है।
- राष्ट्रवाद पिछली दो शताब्दियों के दौरान एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरकर सामने आया है कि जिसने इतिहास रचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसने अत्याचारी शासन से आजादी दिलाने में सहायता की है तो इसके साथ ही यह विरोध, कटुता और युद्धों की वजह भी रहा है।
- राष्ट्रवाद बड़े–बडे साम्राज्यों के पतन में भागीदार रहा है। बीसवीं शताब्दी की शुरूआत में यूरोप में आस्ट्रेयाई–हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इसके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे के मूल में राष्ट्रवाद ही था।
- इसी के साथ राष्ट्रवाद ने उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी–छोटी रियासतों के एकीकरण से वृहदत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया है।

राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद:–

- **राष्ट्रः** राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पर न कभी जान पाते है और न ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है। फिर भी राष्ट्रों का वजूद है, लोग उनमें रहते हैं और उनका सम्मान करते हैं।
- **राष्ट्रवादः** राष्ट्र काफी हद तक एक 'काल्पनिक'समुदाय है जो अपने सदस्यों के सामूहिक यकीन, इच्छाओं, कल्पनाओं विश्वास आदि के सहारे एक धागे में गठित होता है। यह कुछ विशेष मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस पूर्ण समुदाय के लिए बनाते हें जिससे वह अपनी पहचान बनाए रखते हैं।

https://www.evidyarthi.in

राष्ट्र के विषय में मान्यताएंः–

1) **साझे विश्वासः** एक राष्ट्र का आस्तित्व तभी बना रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक–दूसरे के साथ है।

2) **इतिहासः** व्यक्ति अपने आपको एक राष्ट्र मानते हैं उनके अंदर अधिकतर स्थाई ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है देश की स्थायी पहचान का ढांचा पेश करने हेतु वे किवंदतियों, स्मृतियों तथा ऐतिहासिक इमारतों तथा अभिलेखों की रचना के जरिए स्वयं राष्ट्र के इतिहास के बोध की रचना करते हैं।

3) **भू–क्षेत्रः** किसी भू क्षेत्र पर काफी हद तक साथ–साथ रहना एवं उससे संबंधित साझे अतीत की स्मृतियां जन साधारण को एक सामूहिक पहचान का अनुभाव कराती है। जैसे कोई इसे मातृभूमि या पितृभूमि कहता है तो कोई पवित्र भूमि।

4) **सांझे राजनीतिक विश्वासः** जब राष्ट्र के सदस्यों की इस विषय पर एक सांझा दृष्टि होती है कि वे कैसे राज्य बनाना चाहते हैं शेष तथ्यों के अतिरिक्त वे धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं तब यह विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को स्पष्ट करता है।

5) **साझी राजनीतिक पहचानः** व्यक्तियों को एक राष्ट्र में बांधने के लिए एक समान भाषा, जातीय वंश परंपरा जैसी सांस्कृतिक पहचान भी आवश्यक है। ऐसे हमारे विचार, धार्मिक विश्वास, सामाजिक परंपराए सांझे हो जाते हैं। वास्तव में लोकतंत्र में किसी खास नस्ल, धर्म या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय आत्म निर्णयः–

– सामाजिक समूहों से राष्ट्र अपना शासन स्वंय करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं दूसरे शब्दों मे वे आत्म निर्णय का अधिकार चाहते हैं।

– इस अधिकार के तहत राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि भिन्न राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता एंव स्वीकृति दी जाएं।

– उन्नीसवीं सदी में यूरोप में एक संस्कृतिः एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा। फलस्वरूप वर्साय की संधि के बाद विभिन्न छोटे एवं नव स्वतंत्र

https://www.evidyarthi.in

राज्यों का गठन हुआ। इस के कारण राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन हुए, बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ, कई लोग सांप्रदायिक हिंसा के भी शिकार हुए।

– इसलिए यह निश्चित करना मुमकिन नहीं हो पाया कि नव निर्मित राज्यों में मात्र एक ही जाति के लोग रहें क्योंकि वहां एक से ज्यादा नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे।

– आश्चर्य की बात यह है कि उन राष्ट्र राज्यों ने जिन्होंने संघर्षों के बाद स्वाधीनता प्राप्त की, किंतु अब वे अपने भू–क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्म निर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन करते है।

आत्मनिर्णय के आंदोलनों से कैसे निपटें:–

– समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं बल्कि वर्तमान राज्यों को ज्यादा लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में है। समाधान है कि भिन्न–भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक तथा मित्रों की तरह सहअस्तित्व पूर्वक रह सकें।

राष्ट्रवाद तथा बहुलवाद

– ''एक संस्कृति–एक राज्य'' के विचार को त्यागने के बाद लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने तथा सुरक्षित करने के तरीकों की शुरूआत की है। भारतीय संविधान में भाषायी, धार्मिक एंव सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान हैं।

– यद्यपि अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता एवं सरंक्षण प्रदान करने के बावजूद कुछ समूह पृथक राज्य की मांग पर अड़े रहें, ऐसा हो सकता है। यह विरोधाभासी तथ्य होगा कि जहां वैश्विक ग्राम की बातें चल रही हैं वहां अभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाएं विभिन्न वर्गों और समुदायों को उद्वेलित कर रही है। इसके समाधान के लिए संबंधित देश को विभिन्न वर्गों के साथ उदारता एवं दक्षता का परिचय देना होगा साथ ही असहिष्णु एक जातीय स्वरूपों के साथ कठोरता से पेश आना होगा।

https://www.evidyarthi.in

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नों:–

1. सामान्यतः राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है?
2. राष्ट्रवाद ने वृहदत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया है। उदाहरण दीजिए।
3. 'राष्ट्र' शब्द से क्या अभिप्राय है?
4. राष्ट्र के निर्माण में इतिहास का क्या योगदान रहता है?
5. भूक्षेत्र को लेकर लोग उसे क्या–क्या नाम देते है?
6. राष्ट्रीय आत्म निर्णय के सिद्धांत का क्या अथ्र है?
7. समतामूलक समाज से क्या अभिप्राय है?
8. 'एक संस्कृति–एक राज्य' का सिद्धांत का क्या अर्थ है?

दो अंकीय प्रश्नः–

1. ''राष्ट्रवाद ने लोगों को संगठित किया है साथ ही विभाजित भी किया है'' कैसे?
2. ''राष्ट्रवाद साम्राज्यों के पतन के लिए जिम्मेदार रहा है'' कैसे? कुछ उदाहरण दीजिए।
3. 'राष्ट्र' शब्द और राष्ट्रवाद में क्या अंतर है?
4. 'सांझे विश्वास' किस प्रकार राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हैं।
5. साझी राजनीतिक पहचान से क्या अभिप्राय है?
6. क्या 'राष्ट्रीय आत्मनिर्णय' की मांग समकालीन विश्व में विरोधाभासी है?
7. राष्ट्रीय पहचान के लिए समावेशी नीति से कार्य करने का क्या अर्थ है?
8. बहुलवाद से क्या अभिप्राय है?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. राष्ट्रवाद ने राज्यो को जोड़ा भी है और तोड़ा भी है। कैसे?
2. ''भूमंडलीकरण के दौर में आज भी राष्ट्रीय आकांक्षाए सिर उठाती रहती है'' इस समस्या का समाधान कैसे संभव है?

https://www.evidyarthi.in

3. ''एक संस्कृति एक राज्य'' इस नीति से क्या अभिप्राय है? क्या यह नीति प्रयोग में लाना संभव है?

4. आत्मनिर्णय के सिद्धांत के द्वारा जिन राष्ट्रों ने स्वाधीनता प्राप्त की, आज वे ही अपने भू–क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्म निर्णय के अधिकार की मांग का विरोध करते है? क्यों?

5. राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ कौन सी हैं?

6. 'राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है अपने शासन में अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और संस्कृति पहचान का आदर किया जाएं'। क्या आप इस कथन से सहमत हैं?

पांच अंकीय प्रश्नः–

1. ''यद्यपि बाहरी रूप में लोगों में विविधता और अनगिनत विभिन्नताएं थी, परंतु हर जगह एकात्मकता की वह जबर्दस्त छाप थी जिसने हमें युगों तक जोड़े रखा, चाहे हमें जो भी राजनीतिक सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो''।

निम्न प्रश्नों के उत्तर दो–

क) उपरोक्त कथन किसका है?

ख) लेखक किस विविधता और विभिन्नता की बात कर रहा है?

ग) राजनीतिक दुर्भाग्य से लेखक का क्या अभिप्राय है?

2. ''राष्ट्रवाद मेरी आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती, मेरी शरण स्थली तो मानवता है। मै हीरों की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा।

निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएः–

क) लेखक राष्ट्रवाद की बजाय मानवता को क्यों महत्व दे रहा है?

ख) 'देशभक्ति को मानवता पर विजयी न होने देने' का क्या अभिप्राय है?

ग) 'हीरों की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा इस कथन में लेखक ने हीरा और शीशा किसे कहा है?

https://www.evidyarthi.in

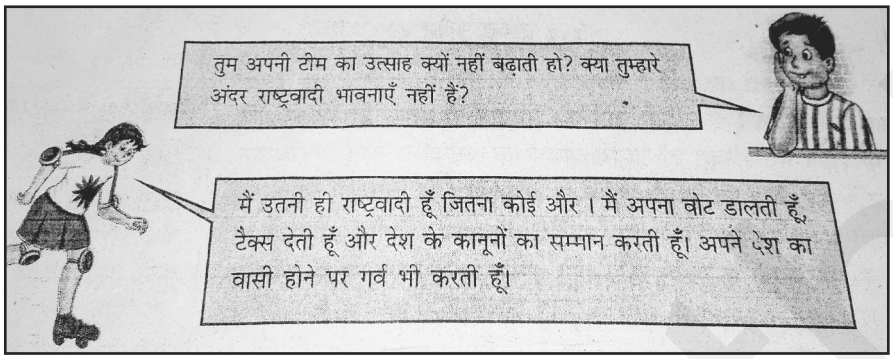

3. 1) सामान्यतया लोग राष्ट्रवाद से क्या अर्थ लगाते हैं?

2) चित्र में राष्ट्रवाद किस प्रकार दिखाया गया है?

3) एक अच्छे नागरिक के क्या गुण होते हैं?

छः अंक वाले प्रश्नः

1. राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन करो?
2. "संघर्षवादी ताकतों से निपटने में तानाशाही सरकारों की बजाय लोकतांत्रिक सरकारें अधिक कारगर सिद्ध हुई है? कैसे।
3. राष्ट्रवाद के दायरें क्या–क्या हैं। (सीमाएं)

https://www.evidyarthi.in

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. सामान्यता जनता की राय में राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति, देश के लिए बलिदान जैसी बातें राष्ट्रवाद में आती हैं।
2. आज के जर्मनी तथा इटली का एकीकरण और सुदृढीकरण की प्रक्रिया का अच्छा उदाहरण है।
3. राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम अपने राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से न कमी जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुमत संबंध होता है फिर भी हम राष्ट्रों का सम्मान करते हैं।
4. राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम सभी राष्ट्र को मानते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है।
5. मातृभूमि, पितृभूमि या पवित्र भूमि।
6. सामाजिक समूहों से जब राष्ट्र अपना शासन स्वयं करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं।
7. भिन्न–भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान वाले देश में समान नागरिकों और मित्रों की तरह सह–आस्तित्वपूर्वक रह सकें।
8. एक राज्य में एक ही संस्कृति के लोग निवास करेंगे।

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. राष्ट्रवाद ने उत्कृष्ट निष्ठाओं के साथ–साथ गहरे विद्वेषों को प्रोत्साहित किया है। इसने जनता को एकत्र किया है तो विभाजित भी किया है।
2. बीसवीं शताब्दी की शुरूआत में यूरोप में अस्ट्रियाई– हंगेरियाई और रूसी साम्राज्यों के पतन तथा उनके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारें में राष्ट्रवाद ही था।
3. राष्ट्रः– राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है यह परिवार से भिन्न है राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पर न कभी जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है।

   राष्ट्रवादः– राष्ट्रवाद एक भावना है, देश प्रेम की भावना जो विकसित होती है साझे विश्वास, साझा इतिहास, साझे भू क्षेत्र साझे राजनीतिक आदर्श तथा साझी राजनीतिक पहचान के द्वारा।
4. साझे विश्वासः– राष्ट्र का निर्माण विश्वास के द्वारा होता है राष्ट्र ऐसी इमारते नहीं जिन्हें हम स्पर्श कर सकें, न ही ये ऐसी वस्तुएं है जिनका लोगों के

https://www.evidyarthi.in

विश्वास से स्वतंत्र अस्तित्व हो। राष्ट्र की तुलना एक टीम से की जा सकती है।

5. साझी राजनीतिक पहचानः– अधिकांश समाज सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरे हैं। एक ही भू–क्षेत्र में विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं इसलिए अच्छा होगा यदि हम राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में करे न कि सांस्कृतिक पदों में। लोकतंत्र में किसी खास नस्ल, धर्म या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है।

6. राष्ट्रीय आत्मविश्वासः– उस वक्त विरोधाभासी लगता है जब हम उन राष्ट्रराज्यों को, जिन्होंने स्वंय संघर्षों के बल पर स्वाधीनता प्राप्त की, किंतु अब वे अपने भू–क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन कर रहे हैं।

7. समावेशी नीति का आशय है जो राष्ट्र राज्य के समस्त सदस्यों के महत्व एवं अद्वितीय योगदान को मंजूरी दे सके अर्थात् अल्पसंख्यक समूहों और उनके सदस्यों की संस्कृति, भाषा और धर्म के लिए संवैधानिक संरक्षा के अधिकार।

8. बहुलवादः जब एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा को त्याग दिया गया तब नई व्यवस्था वह होगी जहां अनेक संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में फल फूल सकें। भारतीय संविधान में भाषायी, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की संरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. राष्ट्रवाद ने उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोप में कई छोटी–छोटी रियासतों के एकीकरण से वृहत्तर राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया। आज के जर्मनी, इटली का गठन एकीकरण और सुदृढ़ीकरण की इसी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था।

   किन्तु राष्ट्रवाद बड़े–बड़े साम्राज्यों के पतन में भी भागीदार रहा है। बीसवीं शताब्दी में यूरोप में आस्ट्रियाई–हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य तथा इनके साथ एशिया और अफ्रीका में फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच एवं पुर्तगाली साम्राज्य के बंटवारे के मूल में 'राष्ट्रवाद' ही था।

2. भूमंडलीकरण का दौर चल रहा है वहीं दूसरी ओर कुछ राष्ट्रीय आकांक्षाए सिर उठाती रहती है। ऐसी मांगों से निपटने का एक मात्र तरीका लोकतांत्रिक तरीका है। इससे निपटने में संबंधित देश विभिन्न वर्गों के साथ उदारता एवं दक्षता का परिचय दें।

   परंतु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु एकजातीय स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें।

https://www.evidyarthi.in

3. एक संस्कृति–एक राज्य की धारणा की शुरूआत 19 वीं सदी के यूरोप में सामने आई परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् राज्यों की पुर्नव्यवस्था में इस विचार को परखा गया परंतु आत्म निर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना संभव नहीं था।

आज भी इस नीति को प्रयोग में ला पाना संभव नहीं तभी बहुलवाद की प्रचलन है अर्थात् बहुत से समुदाय और संस्कृतियों के लोग एक ही देश में फल फूल सकें।

4. आत्मनिर्णयः क्योंकि इससे आबादी का देशांतरण, सीमाओं पर युद्ध और हिंसा की घटनाएं होती रहती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जितने भी नए राष्ट्र राज्य बने उसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का बड़ी मात्रा में विस्थापन हुआ, लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए और उस जगह से बाहर धकेल दिए गए जहां पीढ़ियों से उनका घर था।

5. (i) सांप्रदायिकता
   (ii) जातिवाद
   (iii) क्षेत्रवाद
   (iv) भाषावाद
   (v) नस्लवाद

6. जो राष्ट्र राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान का आदरनहीं करते उसके लिए अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करना कठिन होता है।

   इसके लिए राज्यों को ज्यादा लोकतांत्रिक व समतामूलक बनना होगा ताकि भिन्न–भिन्न सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान के लोग देश में समान नागरिक और मित्रों की तरह रह सकें।

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. (i) पं. जवाहर लाल नेहरू
   (ii) लेखक अपने देश विभिन्न धर्म, भाषाएं, जातियां आदि है उसके बावजूद एकता दिखाई देती है।
   (iii) राजनीतिक दुर्भाग्य का अर्थ है वह लंबा परतंत्रता का समय जो ब्रिटिश काल में भारत को झेलना पड़ा।

2. (i) लेखक चाहता है कि राज्यों की सीमाएं नहीं होनी चाहिए बल्कि सबको मानवता की भलाई के लिए काम करना चाहिए ताकि विश्व हमें विश्व ग्राम की तरह नजर आए।

https://www.evidyarthi.in

(ii) देशभक्ति ने बहुत साम्राज्यों का पतन किया है इसलिए मानव को प्राथमिकता दी जाए राज्य या राष्ट्र को नहीं।

(iii) लेखक का अभिप्राय है कि हमे विश्व ग्राम को प्राप्त करने की ओर चलना चाहिए देश या राष्ट्र की सीमाएं नहीं बनानी चाहिये।

3. (i) सामान्यतया लोग राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्र गान, देशभक्ति, देश के लिए बालिदान आदि से अर्थ लगाते है।

(ii) चित्र में राष्ट्रवाद को वोट डालने, टैक्स देने, कानूनों का सम्मान करने, देशवासी होने या टीम को जीतते वक्त उसका उत्साह बढ़ाना से दर्शाया गया है।

(iii) एक अच्छा नागरिक कानूनों का पालन करना, वोट डालना, समय पर टैक्स देना, देशवासी होने पर गर्व महसूस करना, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्ष करना आदि।

छः अंकीय प्रश्नों के उत्तर

1. (i) साझा इतिहास
(ii) साझे विश्वास
(iii) साझा भू–क्षेत्र
(iv) साझे राजनीतिक आदर्श
(v) साझी राजनीतिक पहचान

2. लोकतांत्रिक सरकारें समतामूलक व समावेशी होने के लिए संघर्षवादी ताकतों से निपटने में निपुण होती है बजाय तानाशाही सरकारों के। आज संसार एक विश्व ग्राम का स्वप्न देख रहा है ऐसे में संघर्षवादी शक्तियां उस स्वप्न में बाधा उत्पन्न करती है ऐसी भागों से लोकतांत्रिक ढंग से समाधान किया जा सकता है और इसमें संबंधित देश को अपना योग्यता और दक्षता का परिचय देना होगा।

यह आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय पहचान के इनके दावों की सत्यता को स्वीकार करें परंतु इसका यह आशय कदापि नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के असहिष्णु और एक जातीय स्वरूपों के साथ कोई सहानुभूति बरतें।

3. (i) क्षेत्रवाद
(ii) नैतिक मूल्यों का पतन
(iii) धार्मिक विविधता
(iv) आर्थिक विषमता
(v) भाषायी विषमता

https://www.evidyarthi.in